न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 39/16

बदरूदीन उम्र 55 वर्ष पुत्र ईदु खां जाति चौपदार मुसलमान निवासी गुढा तहसील ,उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलांट

–बनाम–

1. मो0 इकबाल उम्र 58 वर्ष, पुत्र ईदू खां, जाति चौपदार मुसलमान निवासी गुढा तहसील ,उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
2. ज्यान मोहम्मद उम्र 37 वर्ष पुत्र ईदू खां, जाति चौपदार मुसलमान निवासी गुढा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश 22.2.2016 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी

उपस्थितिः–

1. श्री संदीप सैनी, एडवोकेट ––––– – ––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेश वर्मा,एडवोकेट –––––––––––रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट–––––––––राज0 राज्य की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 28.2.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.2.2016 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– वादग्रस्त जमीन खसरा नंबर 165 रकबा 0.96 हैक्टर व जमीन खसरा नंबर 166 रकबा 1.03 हैक्टर कुल रकबा 1.99 हैक्टर में 1/2 हिस्सा ईदू खां पुत्र मिश्री खां के चौपदार निवासी गुढागौड़जी खातेदार अधिकार की भूमि रही है। इदुखां की मृत्युपरान्त उक्त भूमि उनके वारिसान मो0 सफी, बदरूदीन, मो0 इकबाल, ज्यान मोहम्मद व जैतुन बेवा ईदू खां, अस्मत, रहीशा, मदीना, जन्नत [illegible] खां के नाम अमल दरामद की गई। नामांतरकरण संख्या 3916 दिनांक 20.11.2015 के आधार [illegible] उनके वारिसान के नाम रेवेन्यू रिकर्ड में अमल दरामद की गई। वादग्रस्त जमीन में अपीलांट बदरूदीन का स्वयं का [illegible] के 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:56:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

हिस्से में से 1/9 हिस्सा रहा है जिस अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को विक्रय करने की इच्छा जाहिर की तो रेस्पाडेन्ट ने उक्त वादग्रस्त जमीन के बदरूदीन के हिस्से को स्वयं द्वारा क्रय करने को कहा और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त वादग्रस्त जमीन का विक्रय पत्र अपने हक में बनवाने के लिए अपीलांट को गढ़ागौड़जी ले गया और अपीलांट को विक्रय पत्र तस्दीक करवाने का नाम लेकर रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 19.2.2016 को अपने हक में वादग्रस्त जमीन का हक त्याग अपने हक में तस्दीक करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट को मुगालते में रखा और दिनेश कुमार पुत्र नारायण सिंह झाझड़िया ग्राम भोजासर को जमीन की खरीद फरोख्त में अपना पार्टनर बताया। रेस्पोडेंट नंबर 1 व 2 ने वादग्रस्त जमीन के भुगतान पेटे अपीलांट को एक चैक संख्या 816851 राशि दस लाख रूपये दिनांकित 5.3.2016 का दिनेश कुमार के खाते इण्डस लैण्ड बैंक शाखा झुंझुनू के हस्ताक्षरित कर दिया जो अपीलांट ने अपने खाते में दिनांक 1.6.2016 को जमा करवाये तो खाता बंद के नोट के साथ उक्त चैके अनादरित कर दिया गया। मो0 इकबाल, ज्यान मोहम्मद व दिनेश कुमार ने अपीलांट को धोधे में रखकर अपीलांट के हक हिस्से की जमीन का हक त्याग अपने हक में करवा लिया। उक्त कृत्य अपीलांट को धोखा देने की नियम से बेईमानी पूर्वक किया गया है। मो0 इकबाल, ज्यान मोहम्मद व दिनेश कुमार ने अपीलांट को धोखे में रखकर अपीलांट के हक हिस्से की जमीन का हक त्याग अपने हक में करवा लिया । इस बाबत अपीलांट ने दिनांक 4.6.2016 को मुलजिमान मोहम्मद, इकबाल, ज्यान मोहम्मद व दिनेश कुमार के वि☺ एफ.आई.आर. नंबर 214/16 पुलिस थाना गुढा में अंतर्गत धारा 420,406 भा0दं0सं0 के तहत दर्ज करवायी है । दिनांक 19.2.2016 का हक त्याग विधि विरूद्ध व गलत तरीके से होने के कारण निरस्त होने योग्य है । हक त्याग के आधार पर रेस्पोडेंट नंबर 1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि जो दस्तावेज का प्रोदभूत ही बेईमानी पूर्वक रहा हो वह स्वतः ही शून्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार दिनांक 22.2.2016 को तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दर्ज किया गया नामान्तरकरण संख्या 4009 दिनांक 22.02.2016 अनाधिकृत व शून्य है जो कि निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश नामांतरकरण संख्या 4009 दिनांक 22.02.2016 को निरस्त फरमाया जावे और पूर्वी की स्थिति यथावत रखते हुये अपीलांट के हक में भू रिकार्ड को दुरूस्त फराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:56:43 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:— वादग्रस्त जमीन खसरा नंबर 165 रकबा 0.96 हैक्टर व जमीन खसरा नंबर 166 रकबा 1.03 हैक्टर कुल रकबा 1.99 हैक्टर में 1/2 हिस्सा ईदू खां पुत्र मिश्री खां के चौपदार निवासी गुढागौड़जी खातेदार अधिकार की भूमि रही है। इदुखां की मृत्युपरान्त उक्त भूमि उनके वारिसान मो0 सफी, बदरूदीन, मो0 इकबाल, ज्यान मोहम्मद व जैतुन बेवा ईदू खां, अस्मत, रहीशा, मदीना, जन्नत पुत्री ईदू खां के नाम अमल दरामद की गई। नामांतरकरण संख्या 3916 दिनांक 20.11.2015 के आधार पर उनके वारिसान के नाम रेवेन्यू रिकर्ड में अमल दरामद की गई। वादग्रस्त जमीन में अपीलांट बदरूदीन का स्वयं का ईदू खां के 1/2 हिस्से में से 1/9 हिस्सा रहा है जिस अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को विक्रय करने की इच्छा जाहिर की तो रेस्पाडेन्ट ने उक्त वादग्रस्त जमीन के बदरूदीन के हिस्से को स्वयं द्वारा क्रय करने को कहा और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त वादग्रस्त जमीन का विक्रय पत्र अपने हक में बनवाने के लिए अपीलांट को गढ़ागौड़जी ले गया और अपीलांट को विक्रय पत्र तस्दीक करवाने का नाम लेकर रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 19.2.2016 को अपने हक में वादग्रस्त जमीन का हक त्याग अपने हक में तस्दीक करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट को मुगालते में रखा और दिनेश कुमार पुत्र नारायण सिंह झाझड़िया ग्राम भोजासर को जमीन की खरीद फरोख्त में अपना पार्टनर बताया। रेस्पोडेंट नंबर 1 व 2 ने वादग्रस्त जमीन के भुगतान पेटे अपीलांट को एक चैक संख्या 816851 राशि दस लाख रूपये दिनांकित 5.3.2016 का दिनेश कुमार के खाते इण्डस लैण्ड बैंक शाखा झुंझुनू के हस्ताक्षरित कर दिया जो अपीलांट ने अपने खाते में दिनांक 1.6.2016 को जमा करवाये तो खाता बंद के नोट के साथ उक्त चैके अनादरित कर दिया गया। मो0 इकबाल, ज्यान मोहम्मद व दिनेश कुमार ने अपीलांट को धोखे में रखकर अपीलांट के हक हिस्से की जमीन का [illegible] अपने हक में करवा लिया। उक्त कृत्य अपीलांट को धोखा देने की नियत से बेईमानी पूर्वक किया गया है। मो0 इकबाल, ज्यान मोहम्मद व दिनेश कुमार ने अपीलांट को धोखे में रखकर अपीलांट के हक हिस्से की जमीन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:56:43 IST
Reason: SelfAttested

हक त्याग अपने हक में करवा लिया । इस बाबत अपीलांट ने दिनांक 4.6.2016 को मुलजिमान मोहम्मद, इकबाल, ज्यान मोहम्मद व दिनेश कुमार के विरूद्ध एफ.आई.आर. नंबर 214/16 पुलिस थाना गुढा में अंतर्गत धारा 420,406 भा0दं0सं0 के तहत दर्ज करवायी है । दिनांक 19.2.2016 का हक त्याग विधि विरूद्ध व गलत तरीके से होने के कारण निरस्त होने योग्य है । हक त्याग के आधार पर रेस्पोडेंट नंबर 1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि जो दस्तावेज का प्रोदभूत ही बेईमानी पूर्वक रहा हो वह स्वतः ही शून्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार दिनांक 22.2.2016 को तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दर्ज किया गया नामान्तरकरण संख्या 4009 दिनांक 22.02.2016 अनाधिकृत व शून्य है जो कि निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश नामांतरकरण संख्या 4009 दिनांक 22.02.2016 को निरस्त फरमाया जावे और पूर्वी की स्थिति यथावत रखते हुये अपीलांट के हक में रेवेन्यू रिकार्ड को दुरूस्त फराया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा स्वैच्छा से हक त्याग किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत हक त्याग की प्रक्रिया की गई है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां अपीलांट द्वारा स्वेच्छा से हक त्याग किया गया है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा हक त्याग की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई है। एक रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से तस्दीक नामांतरकरण को इस तरह अपीलांट के मौखिक कथनों के आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अपीलांट के साथ कोई धोखा हुआ है या अन्य कोई विवाद है तो वह उस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु सक्षम है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज होने योग्य प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:56:43 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश नामांतरकरण संख्या 4009 दिनांक 22.2.2016 ग्राम

टोडी यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:56:43 IST
Reason: SelfAttested